कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर।

क्रमांक – 26 दिनांक – 05.07.2025

–: कार्यालय आदेश :–

मैं, **सुरेन्द्र चौधरी,** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर एतद्द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक–Gen-/XIX/Misc./2000/911/718, Dated-01.06.2001 की पालना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनके नाम से पूर्व अंकित तिथि को **माह जुलाई, 2025** में आवश्यक दाण्डिक कार्य यथा रिमाण्ड, ज़मानत, धारा 164 दं.प्र.सं./ 183 बी.एन.एस.एस. के बयान, मर्ग जाँच एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य अपने न्यायालय में उपस्थित होकर **कार्यालय समय 11:00 ए.एम. से 01:30 पी.एम. तक** तथा उस रोज यदि कोई मृत्युकालिक कथन व धारा 52–ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत इन्वेन्ट्री हो, तो उस संबंध में कार्यवाही करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करता हूँ –

क्र.सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी	न्यायालय	मोबाइल नं.
01.	06.07.2025	श्रीमती प्रीति व्यास	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण) संख्या 08, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9782992399
02.	12.07.2025	श्रीमती मेघना बघेल	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण) संख्या 05, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	7296867109
03.	13.07.2025			
04.	20.07.2025	श्रीमती प्रीति व्यास	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण) संख्या 08, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9782992399
05.	26.07.2025	श्रीमती त्रिलोचना राठौड़	न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 08, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	6375636232
06.	27.07.2025			

नोट :– उक्त कार्य के अलावा अन्य आवश्यक कार्य हेतु निम्न अधिकारी मुख्यालय पर रहेंगे–

क्र.सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी	न्यायालय	मोबाइल नं.
01.	06.07.2025	श्रीमती रेखा रानी	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 06, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9521111457
02.	12.07.2025	श्रीमती विजयश्री रावत	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 01, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9468802513
03.	13.07.2025			
04.	20.07.2025	श्रीमती रेखा रानी	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 06, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9521111457
05.	26.07.2025	श्री अनुभव तिवाड़ी	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (सी.बी.आई. प्रकरण), जोधपुर महानगर, जोधपुर।	8094271007
06.	27.07.2025			

रिमाण्ड प्राधिकृत किए जाने के दौरान रिमाण्ड मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि करने की स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा वारंट में स्पष्ट रूप से उस न्यायालय का नाम अंकित करें, जिस न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि हेतु मुलज़िम को पेश किया जाना है। ज़मानत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करते समय ज़मानत आदेश में यह आवश्यक रूप से अलग से पैराग्राफ बनाकर लिखा जावे कि वह किस न्यायालय से संबधित है तथा किस पुलिस थाने से संबंधित है।

नोट – (ए) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उन्हीं अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।

(बी) अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। निर्धारित समय में अवकाश न्यायालय के समक्ष न्यायालय में पेश न करने एवं निवास पर पेश करने पर थानाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। विशेष परिस्थितियों में मुलज़िम को निवास पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न करवाकर बाहर रखा जावे व संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

(सी) उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है, तो उनके स्थान पर आने वाले उत्तरवर्ती पीठासीन अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जाएगी, न्यायालय रिक्त रहने पर अतिरिक्त प्रभार वाले पीठासीन अधिकारी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संबंधित पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

5/7/25

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर महानगर, जोधपुर।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जोधपुर महानगर जोधपुर

क्रमांक – 01

दिनांक – 05.07.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्रीमान् ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
2. स्थापना शाखा, ज़िला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
3. पुलिस उपायुक्त, पूर्व, जोधपुर महानगर।
4. पुलिस उपायुक्त, पश्चिम, जोधपुर महानगर।
5. अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसियेशन, जोधपुर।
6. अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसियेशन, जोधपुर।
7. उपनिदेशक, अभियोजन विभाग, जोधपुर महानगर।
8. ड्यूटी ऑफिसर, पुलिस कण्ट्रोल रूम, जोधपुर शहर।
9. नोटिस बोर्ड, ज़िला न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
10. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा, ज़िला न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
11. सिस्टम ऑफिसर, ज़िला न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
12. न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 08, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
13. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण) संख्या 05, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
14. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण) संख्या 08, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
15. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
16. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 06, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
17. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (सी.बी.आई. प्रकरण), जोधपुर महानगर, जोधपुर।
18. कार्यालय प्रति।

5/7/25

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर महानगर, जोधपुर।